सुविचार– अगर आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं.

कहानी

चालाक हिरण की कहानी

कई साल पहले एक घने जंगल के बीच से एक चमकती नदी बहती थी. उस नदी के एक किनारे पर एक सुंदर और चतुर हिरण रहता था, जिसका नाम था चिंटू. चिंटू अपनी चमकदार आँखों और तेज़ दिमाग के लिए जंगल में मशहूर था. लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर एक चालाक मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था भयानक. भयानक हमेशा चिंटू को पकड़ने की सोचता था, क्योंकि उसे लगता था कि चिंटू का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा.

एक दिन चिंटू नदी के किनारे घास चर रहा था. तभी उसकी नज़र नदी के दूसरी तरफ पड़ी, जहाँ लाल-लाल रसीले जामुनों का एक झाड़ दिखा. चिंटू ने ललचाई नज़रों से जामुनों को देखा और सोचा,वाह! कितने मजेदार जामुन हैं! काश मैं इन्हें खा पाता उसने अपने आप से कहा,लेकिन नदी पार करना आसान नहीं. अगर मैं तैरकर गया, तो भयानक मगरमच्छ मुझे पकड़ लेगा. अब मैं क्या करूँ? चिंटू सोच में डूब गया. चिंटू ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक शानदार तरकीब सूझी. वह नदी के किनारे थोड़ा आगे बढ़ा, जहाँ भयानक मगरमच्छ धूप सेंक रहा था. चिंटू ने ज़ोर से आवाज़ लगाई,भयानक भाई, सुनो! जंगल के राजा ने आज रात एक बड़ी दावत रखी है. उन्होंने सभी मगरमच्छों को न्योता दिया है. वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना होगा!

भयानक ने हैरानी से पूछा,सच में, चिंटू? राजा ने हमें बुलाया है? यह तो बहुत अच्छी खबर है! चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा,हाँ, भयानक! लेकिन राजा ने मुझसे कहा है कि पहले मैं नदी के सभी मगरमच्छों को गिन लूँ. तुम सबको छोटे से बड़े के क्रम में लाइन लगानी होगी, ताकि मैं गिनती कर सकूँ.

भयानक ने खुशी-खुशी अपने दोस्तों को बुलाया और चिल्लाया,सब मगरमच्छ यहाँ आओ! हमें राजा की दावत में जाना है. चिंटू को हमारी गिनती करनी है, जल्दी लाइन में लगो! सभी मगरमच्छ नदी में एक-दूसरे के पीछे लाइन में लग गए. चिंटू ने कहा,भयानक, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर गिनती करूँगा. तुम सब मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. मगरमच्छों ने एकसाथ कहा,हमें कोई डर नहीं, चिंटू! तुम गिनती करो, हम तैयार हैं. चिंटू ने एक-एक मगरमच्छ की पीठ पर छलाँग लगाई और गिनती शुरू की,एक, दो, तीन... इस तरह वह हर मगरमच्छ की पीठ पर कूदता हुआ नदी के उस पार पहुँच गया. जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुँचा, उसने भयानक को धन्यवाद दिया और कहा,शुक्रिया, भयानक! तुमने मेरी बहुत मदद की. अब मैं राजा को तुम्हारी गिनती बता दूँगा.

चिंटू की जीत और मगरमच्छों का गुस्सा – चिंटू तेज़ी से जामुनों की ओर दौड़ा और उन्हें खाने लगा. दूसरी तरफ, मगरमच्छों को एहसास हुआ कि चिंटू ने उन्हें बेवकूफ बनाया है. भयानक ने गुस्से में कहा,यह चिंटू बहुत चालाक है! उसने हमें धोखा दे दिया. हम तो दावत के चक्कर में उसकी बातों में आ गए! बाकी मगरमच्छ भी गुस्से में गुर्राने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी. चिंटू अपनी चतुराई से अपनी जान बचाकर स्वादिष्ट जामुन खा रहा था. उसने सोचा,चतुराई से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है.

सीख – बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है. चिंटू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नदी पार की और अपनी जान बचाई. हमें भी मुश्किल हालात में शांत रहकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए. चतुराई हमें मुसीबतों से बचाने के साथ-साथ हमारे सपनों को पूरा करने में भी मदद करती है. हमेशा सोच-समझकर फैसले लो और हिम्मत कभी मत हारो.

अंतर ढूंढो

नीचे दिये गये दोनों चित्र देखने में समान हैं लेकिन उनमें कुछ अंतर हैं जिन्हें आप ढूंढकर निकालें.

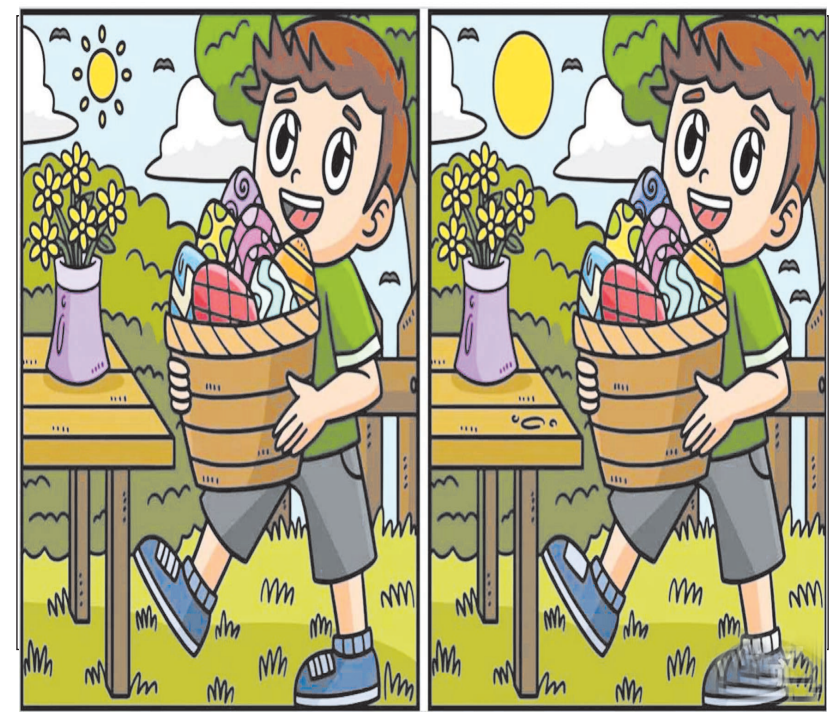

उत्तर- 1.सूरज में अंतर 2. लड़के के जूते में अंतर 3. टोकरी की डिजाइन 4. लड़के के पीछे पेड़ों की संख्या में अंतर 5.

बूझो तो जानें...

- आप ऐसी कौन सी चीज तोड़ सकते हैं, जिसे आप कभी उठाएं या छुएं नहीं?
  उत्तर-एक वादा
- आपका क्या नाम है लेकिन अधिकतर दूसरे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं?
  उत्तर- आपका नाम.
- किस प्रश्न का उत्तर आप कभी भी हाँ में नहीं दे सकते?
  उत्तर-क्या आप सो रहे हैं?

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री गोकुल पाटिल श्रीमती दुर्गा बाई पाटिल गोकुल ट्रेडिंग (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10797576)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसमें मकान शामिल है, सर्व संख्या 53, डायवर्जन थाना, खं. संख्या 53/1, पी.एच. संख्या 00038, ग्राम बोरसर माल, तहसील एवं जिला बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) 450445 पर स्थित है. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल. संपत्ति क्षेत्रफल- 1075.00, 1475.00, 1327.00.	रु.1648684/- (रु. सोलह लाख अड़तालीस हजार छह सौ चौरासी मात्र)	20-06-2025	27/10/2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 1-11-2025 **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

कुछ रोचक तथ्य डायनासोर के बारे में

डायनासोर एक समय धरती के सबसे विशाल और रहस्यमयी जीव थे. उनकी दुनिया आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है. बच्चे, क्या आप जानते हैं कि ये दिग्गज जीव कितने अनोखे थे और उनके बारे में कितने अद्भुत तथ्य मौजूद हैं?

डायनासोर का अर्थ– डायनासोर नाम का मतलब भयानक छिपकली है. यह नाम पहली बार 1842 में वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने दिया था.

सबसे बड़ा डायनासोर– आर्जेन्टिनोसॉरस अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर था, जिसकी लंबाई 100 फीट तक और वजन 77 टन से ज्यादा हो सकता था.

सबसे छोटा डायनासोर– कॉम्पसोग्नैथस नाम का डायनासोर मुर्गी जितना छोटा था और इसका वजन मात्र 3 किलो था.

डायनासोर की संख्या– अब तक वैज्ञानिकों ने डायनासोर की लगभग 700 प्रजातियां खोजी हैं. हर साल नई प्रजातियां भी खोजी जाती हैं.

पंख वाले डायनासोर
कई डायनासोर के शरीर पर पंख भी होते थे. माना जाता है कि आज के पक्षी उन्हीं डायनासोर के वंशज हैं.

टायरानोसॉरस रेक्स का जबड़ा– T-Rex के जबड़े में इतनी ताकत होती थी कि वह एक कार के आकार के किसी जीव को एक ही बार में तोड़ सकता था.

डायनासोर का रंग– डायनासोर के रंग का कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वे हरे, भूरे और पीले रंग के होते थे.

अंडे देने वाले डायनासोर– डायनासोर अंडे देते थे. इनके अंडे आकार में बहुत बड़े होते थे, कुछ तो फुटबॉल के बराबर थे.

डायनासोर और उल्का
आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए.

डायनासोर की रफ्तार– कुछ डायनासोर जैसे वेलोसिरैप्टर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे.

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

कार्पोरेट आफिस: 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लाक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

रजि. आफिस: कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, चमिलनाडु

डिमांड नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम')

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है :-

क्र.	ऋण खाता संख्या एवं नाम उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता संपत्ति धारक जैसा भी मामला हो	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंधक संपत्ति)	डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया
1.	**लैन: 601707510326404** **1. शाहनवाज़ बेग, 2. सफ़दर बेग, 3. कोसरा परवीन, 4. एम्पायर रेस्टोरेंट** **पता:** 51 महाकाल मार्ग, नई हरि फाटक रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001	भूखंड संख्या 51 के उत्तरी भाग की सारी पीस और पार्सल बेगम बाग कॉलोनी (हरि फाटक, महाकाल मार्ग योजना) उज्जैन में स्थित, संपत्ति पूर्व की ओर है- आवासीय मकान संख्या 22, पश्चिम-रोड, उत्तर- आवासीय मकान संख्या 52, दक्षिण- उक्त संपत्ति का शेष भाग 111.50 वर्ग फुट.	13.10.2025 रु. 37,48,991.91 (रुपये सैंतीस लाख अड़तालीस आठ हज़ार नौ सौ इंक्यानवे और इंक्यानवे पैसे मात्र) 10.08.2025 तक एनपीए तिथि: 05.10.2025

उधारकर्ताओं को मांग नोटिस का अनुपालन करने और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और यहां ऊपर इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस सहित भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक शुल्क, लागत और व्यय. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएचएफसी एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा सुरक्षित की गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति. ऐसी स्थिति में उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहते हैं समय के साथ, एसएमएचएफसी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा. बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसके तहत भुगतान प्राप्त करें. एसएमएचएफसी को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएचएफसी को अलग कानूनी पहल करने का भी अधिकार है. यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही एसएमएचएफसी को. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एसएमएचएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, जिसके तहत उधारकर्ता को निपटान या लेन-देन से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है. किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करना एसएमएचएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति और उपरोक्त का अनुपालन न करना धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त अधिनियम के. डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें तो, कर सकते हैं. इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें.

स्थान- उज्जैन, मध्यप्रदेश **एसडी/-**
दिनांक- 13.10.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड**

भूल भुलैया

नर बुलबुल ही गाता है गाना

बुलबुल, शाखाशायी गण के पिकनोनॉटिडी कुल का पक्षी है. ये कीड़े-मकोड़े और फल फूल खानेवाले पक्षी होते हैं. ये पक्षी अपनी मीठी बोली के लिए नहीं, बल्कि लड़ने की आदत के कारण शौकीनों द्वारा पाले जाते रहे हैं. यह उल्लेखनीय है कि केवल नर बुलबुल ही गाता है, मादा बुलबुल नहीं गा पाती है. बुलबुल कलछौंह भूरे मटमैले या गंदे पीले और हरे रंग के होते हैं और अपने पतले शरीर, लंबी दुम और उठी हुई चोटी के कारण बड़ी सरलता से पहचान लिए जाते हैं. विश्व भर में बुलबुल की कुल 9700 प्रजातियां पायी जाती हैं. इनकी कई जातियाँ भारत में पायी जाती हैं, जिनमें गुलदुम बुलबुल सबसे प्रसिद्ध है. इसे लोग लड़ाने के लिए पालते हैं और पिंजड़े में नहीं, बल्कि लोहे के एक (अंग्रेज़ी अक्षर -टी) आकार के चक्कस पर बिठाए रहते हैं. इनके पेट में एक पेटी बाँध दी जाती है, जो एक लंबी डोरी के सहारे चक्कस में बँधी रहती है.

कई वनीय प्रजातियों को ग्रीनबुल भी कहा जाता है. इनके कुल मुख्यत: अफ़्रीका के अधिकांश भाग तथा मध्य पूर्व, उष्णकटिबंधीय एशिया से इंडोनेशिया और उत्तर में जापान तक पाये जाते हैं. कुछ अलग-थल प्रजातियाँ हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर मिलती हैं. इसकी लगभग 130 प्रजातियाँ, 24 जेनेरा में बँटी हुई मिलती हैं. कुछ प्रजातियाँ अधिकांश आवासों में मिलती हैं. लगभग सभी अफ़्रीकी प्रजातियाँ वर्षावनों में मिलती हैं. ये विशेष प्रजातियाँ एशिया में नगण्य हैं. यहाँ के बुलबुल खुले स्थानों में रहना पसन्द करते हैं. यूरोप में बुलबुल की एकमात्र प्रजाति साइक्लेड्स में मिलती है, जिसके ऊपर एक पीला धब्बा होता है, जबकि अन्य प्रजातियों में स्नफ़ी भूरा होता

जानकारी

यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को दी मजबूती

यशवंत सिन्हा: एक परिचय

यशवंत सिन्हा भारत के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो देश के लिए निर्णय लेने में मदद करते हैं. उनका जन्म 6 नवंबर, 1937 को पटना नामक स्थान पर हुआ था, जो बिहार में है. लोगों को लगता है कि वे एक अच्छे नेता हैं और पैसे और अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनमें वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में सेवा शामिल है.

शिक्षा और प्रारंभिक जीवन

यशवंत सिन्हा की शिक्षा-दीक्षा पटना में हुई, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की. उन्होंने राजनीति विज्ञान और इतिहास में गहन अध्ययन किया, जो उनकी राजनैतिक समझ को निखारने में सहायक साबित हुआ.

यशवंत सिन्हा का परिवार राजनीति और शिक्षा में रुचि रखता है. उनकी पत्नी नीलिमा सिन्हा एक शिक्षिका रह चुकी हैं. उनके दो बेटे और एक बेटी हैं. उनके बेटे जयंत सिन्हा भी एक राजनेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर केंद्र सरकार में सेवा की है. यशवंत सिन्हा का परिवार शिक्षित और सामाजिक रूप से सक्रिय है, और उनके बच्चे भी समाज की सेवा में रुचि रखते हैं.

राजनीति में करियर

यशवंत सिन्हा का राजनीतिक करियर कई वर्षों का है. उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया और 1984 में राजनीति में प्रवेश किया. उन्होंने सबसे पहले जनता पार्टी से शुरुआत की और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. यशवंत सिन्हा को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला. वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कई सुधार किए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली. विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने देश को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने में योगदान दिया.

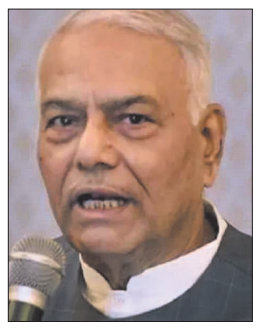

महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक सुधार

वित्त मंत्री रहते हुए, उन्होंने कई आर्थिक सुधार किए जिनका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना था. उन्होंने कर प्रणाली को सरल बनाने और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का काम किया.

विदेश नीति में योगदान

विदेश मंत्री के रूप में यशवंत सिन्हा ने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया और कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

लेखन, रुचियाँ और पसंद

यशवंत सिन्हा ने राजनीति और अर्थशास्त्र पर कई लेख लिखे हैं और उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जो उनकी सोच और विचारधारा को प्रदर्शित करती हैं. यशवंत सिन्हा की रुचि राजनीति, लेखन और समाज सेवा में रही है. वे भारतीय राजनीति के एक विचारशील नेता माने जाते हैं. उन्हें नई-नई नीतियों का अध्ययन और अर्थशास्त्र में गहरी रुचि है. उनके विचार और लेखन ने युवा नेताओं को प्रेरित किया.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	सांकेतिक कब्ज़ा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री रोहित परमार श्रीमती उमा बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10185484)	30-6-2025 रु. 631324/- (रु. छह लाख इकतीस हजार तीन सौ चौबीस मात्र)	प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा जिसका पता है- प्लॉट नंबर 87, नेचर वैली, गांव जामली, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453441. एरिया (स्क्वायर फीट में)- प्रॉपर्टी का प्रकार - लैंड_एरिया, बिक्री योग्य_एरिया प्रॉपर्टी एरिया: 1000.00, 1000.00	16-9-2025 कुल बकाया राशि 12-10-2025 को रु. 671843/- (रु. छह लाख इकहत्तर हजार आठ सौ तिरतालीस मात्र)	रु. 12,00,000/- (रु. बारह लाख मात्र)
	बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)			बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 120000/- (रु. एक लाख बीस हजार मात्र)
प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक 1-12-2025 11.00-14.00 बजे		**ईएमडी की अंतिम दिनांक** 3-12-2025 के 5.00 बजे तक		**ई-नीलामी दिनांक/समय** 5-12-2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.iflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https-//www.iiflonehome.com ›मेरी बोली ›शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 1-11-2025 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**